न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 29 / 2017

विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर जरिये श्री गौतमराम चौधरी, विकास अधिकारी

.......निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमति सायरी देवी पत्नि स्व0 श्री सूरजनाथ
2. गीता
3. सीता
4. मंजू

पुत्रियां स्व0 श्री सूरजनाथ

5. श्री जगदीश
6. श्री मुकेश

पुत्रगण स्व0 श्री सूरजनाथ

7. श्री सुखपाल परोदा
8. श्री दिलीप परोदा

पुत्रगण श्री नानूराम जाति जाट
समस्त निवासीगण ग्राम सराधना, जिला अजमेर

......**गैर** निगरानीकार

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकर्ता की ओर से।

2– श्री सुमित जैन, वकील गैर निगरानीकार संख्या 7 व 8 की ओर से।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–17.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत सराधना पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर श्री सूरजनाथ पुत्र श्री महादेवनाथ, ग्राम सराधना के पक्ष में दिनांक 26.12.1986 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 8 / 86–87 क्षेत्रफल 3000 वर्गफुट जारी कर दिया। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, सराधना द्वारा श्री सूरजनाथ पुत्र

श्री महादेवनाथ, ग्राम सराधना के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी बाद मियाद पेश की गई है। उनका कथन है कि विवादित पट्टा विलेख दिनांक 26.12.1986 को विधिवत जारी किया गया है जिसकी जानकारी निगरानीकार को प्रारम्भ से ही थी। ऐसे विवादित प्रकरण में निगरानी प्रस्तुती हेतु 90 दिवस की मियाद अवधि निश्चित है जबकि निगरानीकार द्वारा लगभग 30 वर्षो के लम्बे अन्तराल पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है जो कि भारी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान डी0एन0जे0 (राज0) 2008(2) पेज 735 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) में 90 दिवस की अवधि धारा 97(1) में पारित आदेश को पुनःर्विलोकन करने की है न कि निगरानी पेश करने की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि निगरानी सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन है। निगरानी गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ''राज्य सरकार स्वप्रेरण से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उत्तर दिया या पुनःर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो यह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।'' इससे स्पष्ट है कि धारा 97(1) में निगरानी पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए निगरानी गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि पंचायत समिति पीसांगन की रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016, ग्राम पंचायत सराधना के प्रस्ताव

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

संख्या 2 दिनांक 07.10.2016 एवं जन सतर्कता समिति, अजमेर के प्रकरण संख्या 58/2016 में दिये गये आदेश दिनांक 20.10.2016 के अनुसरण में श्री सूरजनाथ पुत्र श्री महादेवनाथ के विरूद्ध निगरानी संख्या 83/2016 पेश की गई थी जो कि जानकारी के अभाव में मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश होने से इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.02.2017 को विधिक जायन्दा वारिसान व विवादित प्लॉट के क्रेता को पक्षकार बनाकर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना में विचाराधीन निगरानी पेश की गई है। श्री नारायण लाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सराधना का स्वर्गवास हो जाने व श्री मदनलाल पूर्व ग्राम सेवक सेवानिवृत होने व जानकारी नहीं होने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, अजमेर के समक्ष परिवेदना पर दर्ज प्रकरण संख्या 58/2016 के क्रम में संयुक्त जांच कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 में इंगित किया गया है कि ''ग्राम पंचायत सराधना द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1978 के विपरीत पुराना खसरा संख्या 2314 की भूमि पर जो पट्टा जारी किया गया है वह राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से पंचायत भूमि में 150 फुट की परिधी के भीतर जारी किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के अतिरिक्त तारबंदी व पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है।'' विवादित भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2)(ख) में राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से 150 फुट तक का भूमि का बेचान व पक्का निर्माण अपवर्जित होने से अवैध है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1978 का 269 (2)(ख) इस प्रकार है कि ''कोई पंचायत निम्न लिखित विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर न तो कोई आबादी जमीन बेचेगी और न ही कोई पक्का निर्माण (स्ट्रक्चर) करने की अनुमति देगी।'' (ख)–राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यवर्ती रेखा से 150 फुट'' इस प्रकार आक्षेपीय पट्टा पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत अधिनियम 1978 के विरूद्ध है एवं नियमानुसार अपवर्जित होने से निरस्त योग्य है। विवादित पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 व वर्तमान राजस्थान पंचायत नियम 1994 के भी प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर पट्टाधारी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय विक्रय विलेख पट्टा संख्या 8/86–87 दिनांक 26.12.1986 निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। ग्राम पंचायत सराधना द्वारा पट्टाधारी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा विधिवत एवं राजस्थान पंचायत राज नियमों के अनुकूल जारी किया गया है। पट्टाधारी को आवंटित पट्टा वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से दूर स्थित है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। आक्षेपीय भूखण्ड/पट्टा के दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग न होकर राष्ट्रीय राजमार्ग की सम्पर्क सड़क है, फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण पर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 269 (2)(ख) के प्रावधान चस्पा नहीं होते हैं। उक्त वर्णित सम्पर्क सड़क पर 150 फीट से भी कम दूरी पर राजकीय विद्यालय, चिकित्सालय, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय, सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक, विद्युत सब स्टेशन आदि पूर्व से निर्मित होकर अन्य दुकानें व फैक्ट्री निर्मित है। निगरानीकार द्वारा अन्य

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर द्वेषतावश केवल अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। उन्होने आगे कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त मार्ग पर अंजू पुत्र छोगा जाति छाबड़िया वाले के पक्ष में दिनांक 15.03.2013 को पट्टा संख्या 1 एवं प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात राजकीय पशु चिकित्सालय सराधना (अजमेर) के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया है। इस प्रकार निगरानीकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आकर सारवान व सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए निगरानी पेश करने में भारी भूल कारित की है। उनका आगे कथन है कि निगरानीकार ने श्री नारायणलाल पूर्व सरपंच का स्वर्गवास होने व श्री मदनलाल सेवानिवृत होने से पक्षकार निरूपित नहीं करने का तथ्य अंकित किया है जबकि विधिक स्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में उन्हे व्यक्तिशः पक्षकार निरूपित नहीं कर पद की हैसियत से पक्षकार निरूपित किया जाना चाहिये था। सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सराधना को आवश्यक पक्षकार निरूपित किये बिना नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के अभाव में निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान डी0एन0जे0 (राज0) 2009(1) पेज 194 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं आर0आर0डी0 1994 पेज 616 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत सराधना द्वारा जारी किया गया है किन्तु निगरानीकार द्वारा तत्कालीन सरपंच का स्वर्गवास होने व ग्राम सेवक सेवानिवृत्त होने का कथन करते हुए विचाराधीन निगरानी में उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये था। विचाराधीन निगरानी में सरपंच व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सराधना को आवश्यक पक्षकार निरूपित किये बिना नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के कारण निगरानी संधारण योग्य नहीं पाई जाती है। हम वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत हैं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे सरपंच एवं ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सराधना को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

आदेश आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर